न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- प्रदीप सिंह सांगावत(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः- डिकी 51 सन 2021

पंजीयन दिनांकः- 22.7.2021

(1). गीताबाई पत्नी कैलाश नाई निवासी पिपलवास तहसील भदेसर जिला-चित्तौडगढ।

-अपीलांट

बनाम

(1) बाबूलाल पिता चंपा नाई निवासी-पिपलवास ।

(2) भेरूलाल पिता चंपा नाई निवासी-पिपलवास ।

(3) मुन्नी पत्नी चंपा नाई निवासी-पिपलवास ।

(4) मिट्ठूबाई पत्नी नंदा नाई निवासी-पिपलवास ।

(5) शिवलाल पिता रामा नाई निवासी-पिपलवास ।

(6) बाबूलाल पिता रामा नाई निवासी-पिपलवास ।

(7) सोहनलाल पिता रामा नाई निवासी-पिपलवास ।

(8) पुष्पाबाई पुत्री रामा पत्नी सत्यनारायण नाई निवासी-पिपलवास हाल बोजून्दा ।

(9) प्यारीबाई पत्नी रामा नाई निवासी-पिपलवास तहसील भदेसर ।

(10) कंचरबाई पुत्री स्व भेरूयलाल नाई मृतक के बजाय-

(10/1)राजीबाई पुत्री स्व भेरूलाल नाई निवाासी-घोडाखेडा ।

(10/2)जमनाबाई पुत्री स्व.भेरूलाल पत्नी किशनलाल नाई निवासी-बानसेर ।

(10/3)नारायणी पुत्री स्व.भेरूलाल पत्नी कैलाश सैन निवासी-मोरवन ।

(11)गुणेशबाई पुत्री शंकर पत्नी शंकरलाल नाई निवासी-पिपलवास ।

(12)भागीरथ पिता हीरा खटीक निवासी-पिपलवास ।

(13)उदीबाई पत्नी गोकल माली निवासी-पिपलवास ।

(14)घीसीबानू पत्नी कमरूद्वीन मुसलमान निवासी-पिपलवास ।

(15)गट्टूबाई पत्नी ईशाकमोहम्मद मंसूरी निवासी-पिपलवास ।

(16)शांति पत्नी स्व.रूपा नाई निवासी-पिपलवास ।

(17)श्यामू पिता रूपा नाई निवासी-पिपलवास ।

(18)सीता पुत्री रूपा पत्नी सुरेश नाई निवासी-पिपलवास हाल कन्नौज ।

(19)सम्पत पुत्री रूपा पत्नी बगदीराम निवासी-पिपलवास हाल धरियावद ।

(20)देउबाई पत्नी अमरचंद माली निवासी-पिपलवास।

(21)कैलाशचद्र पिता हीरालाल खटीक निवासी-पिपलवाास ।

(22)रूकिया बानू पत्नी शफीमोहम्मद मुसलमान निवासी-पिपलवास ।

(23)खतिजा बाई पत्नी नानू मुसलमान निवासी-पिपलवास।

(24)तुलसीबाई पत्नी हजारी मेघवाल निवासी-पिपलवास ।

(25)छोटूखां पिता रहीमबक्ष मंसूरी निवासी-पिपलवास ।

(26)सद्वीक मोहम्मद पिता रहीमबक्ष के बजाय-

(26/1)जरीना पुत्री सद्वीक मोहम्मद मंसूरी ।

(26/2)पीरू पिता सद्वीक मोहम्मद मंसूरी ।

(26/3)शाहीना पुत्री सद्वीक मोहम्मद मंसूरी ।

(26/4)आमना पुत्री सद्वीक मोहम्मद मंसूरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

सभी निवासी-पिपलवास तहसील भदेसर जिला-चित्तौडगढ ।
राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर ।

रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
प्रकरण संख्या 03/2019 वाद प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.04.2021

उपस्थित-1. चन्दनमल जणवा-अधिवक्ता अपीलांट
2. विक्रमशुक्ला -अधिवक्ता रेस्पो. 1 से 9
3. फारूख मोहम्मद- अधिवक्ता रेस्पो संख्या 10/1 व 10/2
4. हीरालाल जाट -अधिवक्ता रेस्पो.11
4. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो संख्या 27

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय

दिनांक 11.10.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्टगण 1 से 4 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53,188 एवं 209 के अन्तर्गत मौजा पिपलवास में स्थित भूमि खाता संख्या 372 में दर्ज आराजी नम्बर 968/1432 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खाता संख्या 374 में दर्ज आराजी नम्बर 968 रकबा 1.50हैक्टेयर खाता संख्या 328 में दर्ज आराजी नम्बर 1357 रकबा 2.71 हैक्टेयर आराजी नम्बरी 1358 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.72 हैक्टेयर व खाता संख्या 371 में दर्ज आराजी नम्बर 1271 रकबा 0.61 हैक्टेयर खाता संख्या 373 में दर्ज आराजी नम्बर 966 रकबा 0.71 हैक्टेयर आराजी नम्बर 967 रकबा 0.16 हैक्टेयर आराजी नम्बर 1006 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता-3 रकबा 0.97 हैक्टेयर के सबंध में प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2021 को वादीगण रेस्पोडेन्टगण 1 से 4 का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र वादीगण रेस्पोडेन्टगण 1 से 4 के हक हिस्से की प्राथमिक निर्णय व डिकी किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रार्थिया ने अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति के आवेदन के साथ इस न्यायालय में प्रथम अपील पेश की। जो इस न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्टगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये।

अपीलांट प्रार्थिया ने अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति का आवदेन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात जो मौजा पीपलवास की खाता संख्या 372, 374, 373, 328 की कृषि आराजीयात के सम्बन्ध बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया । खाता संख्या 373 में दर्ज आराजी नम्बर 966, 967 व 1006 में अपीलार्थीया सहखातेदार को पक्षकार बनाये बगैर रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 वादीगण ने बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री प्राप्त की है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2021 से अपीलार्थीया प्रार्थिया के हित प्रभावित होते है जिससे अपीलार्थीया प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र धारा 96 जा0दी0 में वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य होने से अपीलार्थीया प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीया प्रार्थिया को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

इस न्यायालय मे अपीलार्थीया की ओर से अपील विलम्ब से पेश हुई जिसके लिये अपीलार्थीया प्रार्थिया ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ-पत्र पेश किया गया। हमने उक्त प्रार्थना-पत्र पर मनन किया। प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्य कि प्रार्थिया अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नही रही है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2021 की जानकारी अपीलार्थीया प्रार्थिया को नही थी। विश्वस्नीय व स्वीकार होने योग्य होने से अपीलार्थीया प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीया प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाती है ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली में निर्णय हेतु बहस समायत की गई।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया कि विवादग्रस्त कृषि आराजियात अपीलार्थिया, वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 26 के सह खातेदारी में दर्ज होकर पक्षकारान के मध्य कोई विधिसम्मत बंटवाडा नहीं होने से विवाद होता रहा है इसलिये वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 माफिक हक हिस्से अनुसार मिट्रस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कराने के अधिकारी है। विवादग्रस्त आराजियात राजस्व रिकार्ड में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 26 व अपीलांट के नाम सामलाती राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को रकबे की कमी बेशी को लेकर एवं निर्माण करने की धमकी देते है इसलिये उनके विरुद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुये मिट्रस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी की जावे। वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलांट को वाद पत्र में पक्षकार कायम किये बिना ही वाद पत्र प्राथमिक निर्णय व डिक्री करवा लिया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानानुसार प्रत्येक सह खातेदार का वाद पत्र में पक्षकार बनाया जाना व सुना जाना विधिसम्मत होने के सिद्वांत के विपरीत होकर निरस्त योग्य है । अंत में अपील में अंकित समस्त तथ्यों को पुनः दोहराते हुये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.4.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीया को पक्षकार संयोजित करते हुये सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,3,4,5,6,8,9 रेस्पोडेन्ट संख्या 10/1, 10/2 रेस्पोडेन्ट संख्या 11 व रेस्पोडेन्ट संख्या 27 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना मानते हुये अपीलार्थीया की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का निवेदन किया। साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 जो अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादीगण है ने निवेदन किया कि यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलार्थिया खाता संख्या 373 में सहखातेदार रही है जिसको सहवन में प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है। अपीलार्थिया को सुनवाई का अवसर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायायल में नही मिल पाया है जिससे अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय को सुनवाई हेतु वादपत्र प्रतिप्रेषित किया जाता है तो रेस्पोडेन्टगण 1 से 4 वादीगण को आपति नही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 27 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री बंटवाडे से सम्बन्धित होते हुये हक व हिस्से के अनुसार होना बताते हुये तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर स्वीकार योग्य नहीं होना बताते हुये अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्वान न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र में अपीलार्थिया को पक्षकार नहीं बनाया गया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 में दी गई कानून व्यवस्था के विपरीत होने से अपीलार्थिया की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर के प्रकरण संख्या 03/2019 रेवेन्यू वाद मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2021 विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपीलार्थिया की ओर से रेस्पोडेन्टगण के विरुद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 51/2021 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 वादीगण के पक्ष में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2021 निरस्त की जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर को प्रकरण संख्या 03/2019 रेवेन्यु वाद इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वह अपीलार्थिया को पक्षकार मुकदमा प्रतिवादी के रूप में संयोजित कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 30/11/23 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)